राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक : 27 JAN 2025

आदेश

विषयः फार्मा स्टोर / ई–फार्मा स्टोर के माध्यम से आरजीएचएस के अन्तर्गत औषधियां उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भः वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9–6–2024 एवं 5–9–2024

वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9–6–2024 एवं 5–9–2024 के क्रम में फार्मा स्टोर / ई–फार्मा स्टोर द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के आलोक में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

क्र. सं	संबंधित बिन्दु	टिप्पणी
1	जीएसटी परिवर्तन 1.जीएसटी नम्बर परिवर्तन 2.जीएसटी टाईप परिवर्तन	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस जारी करते समय जी.एस.टी नम्बरों के सम्बन्ध में अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।
2	ड्रग लाइसेंस नम्बर का परिवर्तन	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अनुसार प्रोपराइटर की मृत्यु हो जाने या नवीनीकरण करवाने में विलम्ब (6 माह से अधिक) हो जाने पर लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाती है एवं इसके पश्चात् नियमानुसार नया औषधि अनुज्ञापत्र लिया जाना आवश्यक है। नया लाइसेंस लेने के पश्चात् लाइसेंस नम्बर परिवर्तन किया जा सकता है। (लाइसेंसो की शर्त संख्या 5/6 व नियम 63)
3	प्रोपराइटर का परिवर्तन	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अनुसार प्रोपराइटर की मृत्यु हो जाने पर, पार्टनरशिप टूटने या जुडने पर इत्यादि कारणों से संविधान परिवर्तन होता है तो इसके पश्चात् नियमानुसार नया औषधि अनुज्ञापत्र लिया जाना आवश्यक है। नया लाइसेंस लेने के पश्चात् लाइसेंस नम्बर परिवर्तन किया जा सकता है। (लाइसेंसो की शर्त संख्या 5/6)
4	पता परिवर्तन	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अनुसार यदि फर्म का स्थान परिवर्तन होता है तो इसके पश्चात् नियमानुसार नया औषधि अनुज्ञापत्र लिया जाना आवश्यक है। नया लाइसेंस लेने के पश्चात लाइसेंस नम्बर परिवर्तन किया जा सकता है। (स्थान परिवर्तन पर नया लाइसेंस लेने पर लाइसेंस नम्बर समान अथवा भिन्न हो सकता है।)

5	एस.एस.ओ. आईडी	यदि प्रोपराइटर की सरकारी नौकरी लग जाये तो फर्म को नये प्रोपराइटर के साथ नया औषधि अनुज्ञापत्र लिया जाना आवश्यक है। यदि फर्म पर कार्यरत फार्मासिस्ट की सरकारी नौकरी लग जाये तो उसके स्थान पर नया फार्मासिस्ट नियुक्त कर उसकी एस.एस.ओ आईडी काम में ली जा सकती है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट परिवर्तन पर नया लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
6	ई–मेल एवं मोबाईल नं.. का परिवर्तन	फर्म मालिक व रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर का परिवर्तन किया जा सकता है।
7	बैंक अकाउण्ट से संबंधित परिवर्तन (बैंक अकाउण्ट नम्बर, आईएफएससी इत्यादि)	औषधि नियंत्रण संगठन से सम्बन्धित नहीं है परन्तु बैंक अकाउण्ट में परिवर्तन के समय यह ध्यान रखा जाना उचित होगा कि बैंक अकाउण्ट में फर्म का नाम, पता व लाइसेंस नम्बर समान हो।

27.1.25

(देबाशीष पृष्टि)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
4. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टैट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी / परियोजना निदेशक, आरजीएचएस
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान,
12. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. प्रशासनिक सुधार विभाग(ग्रुप–6)
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
16. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

27/1/25

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 3 /2025)